



2026:AHC:3578

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19742 वर्ष 2025

छोटे सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद उमर खान

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद उमर खान ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को मूल वेतनमान 62,200 रुपये के स्थान पर 66,000 रुपये का वेतन, साथ ही सुधार के समय से लेकर अब तक का ब्याज सहित बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है; और इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के दिनांक 14.12.2025 के अभ्यावेदन पर अंतर्निहित दोष के कारण निर्धारित समय के भीतर निर्णय लेने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ताको इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर निरस्त की जाती है।

7 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।